2.7.24 बहुलाप फरीकैन उप। जवाबदावा हेतु एक
और अवसर प्रदान कर पत्रावली 15-7-24 को
पेश हो।

15-7-24 बहुलाप फरीकैन उप। जवाबदावा हेतु
कई अवसर दिये जा चुके हैं। न्यायहित
में जवाब हेतु प्रति सं. 1 व 2 तथा
प्रतिवादी सं. 3 बैंक के अधिवक्ता श्री
सुशील सिंगला एवं प्रतिवादी सं. 4
स्टेट को जवाब हेतु अंतिम अवसर
प्रदान कर पत्रावली 25-7-24 को पेश हो।

25/7/24 वकील फरीकैन अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी
महोदय अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली दिनांक 16/12/24 को पेश हो।

16/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप/वादी व प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उप/ 4 व 5 उप पेश कर निवेदन किया कि उन्होंने
अदालत की भावना से प्रेरित होकर पंचायती नालीनामा कर
लिया है इसलिए प्रकरण में आगामी कोई कार्यवाही Notress
नहीं करना चाहता। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र
खारिज किया जाता है। वकील वादी द्वारा वाद पत्र
को Not Press किया गया। वादी वादी Not
Press के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फाईल हो। प्रकरण
खारिज डकरा होकर डाखिल डफतर हो। प्रकरण
खर्चा लिखने पर प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उप/ वादी
पक्ष में को Not Press किया गया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा
प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है। पत्रावली
फाईल होकर डाखिल डफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर